अध्याय -IV

वाहनों पर कर

कार्यकारी सारांश

इस अध्याय में हमने जिन विशिष्टताओं को उद्घटित किया है	इस अध्याय में हम जिला परिवहन कार्यालयों में मोटर वाहन कर के निर्धारण एवं संग्रहण से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान दृष्टिगत अवलोकनों में से चयनित ₹ 13.48 करोड़ के मामलों को उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत करते है जहाँ हमने पाया कि अधिनियमों/नियमावलियों के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। यह चिन्ता का विषय है कि हमारे द्वारा विगत कई वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समान कमियाँ को बार-बार बताया गया हैं परन्तु विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र के बावजूद कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की।
कर संग्रहण में सीमांत वृद्धि	वर्ष 2011-12 में मोटर वाहनों से कर के संग्रहण में विगत वर्ष से 25.47 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसे विभाग ने झारखण्ड मोटर वाहन कर (संशोधन) अधिनियम के अंतर्गत निजी वाहनों का एक मुश्त करारोपण प्रणाली के शुरूआत किये जाने को बताया।
आंतरिक लेखापरीक्षा संचालित नहीं हुई	विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना नहीं की गई है। हमें सूचित किया गया कि जून 2011 से वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के लिए लेखापरीक्षा प्रारंम्भ कर दी गयी है। विगत वर्षों के संबंध में लेखापरीक्षा की स्थिति की सूचना नहीं दी गई। आंतरिक लेखापरीक्षा का संचालन नहीं होने से विभाग के कमजोर आंतरिक नियंत्रण के कारण राजस्व का पर्याप्त रिसाव हुआ। यह परिवहन पदाधिकारियों के स्तर की भी चूक थी, जिसका पता हमारे द्वारा लेखापरीक्षा संचालित करने तक भी नहीं लगाया जा सका।
पूर्ववर्ती वर्षों में हमारे द्वारा इंगित आपत्तियों के संदर्भ में विभाग द्वारा बहुत कम वसूली	वर्ष 2006-07 से 2010-11 की अवधि के दौरान हमने 1,20,884 मामलों में ₹ 371.86 करोड़ के राजस्व प्रभाव के कर, शुल्क आदि का नहीं/कम आरोपण, नहीं/कम उद्ग्रहण इंगित किया था। इनमें से विभाग/सरकार ने 1,14,631 मामलों में अंतर्ग्रस्त ₹ 173.50 करोड़ की लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया परन्तु वर्ष 2011-12 में मात्र ₹ 7.81 करोड़ की वसूली की।
वर्ष 2011-12 में हमारे द्वारा संचालित लेखापरीक्षा के परिणाम	वर्ष 2011-12 में हमने वाहनों पर कर से सबंधित 17 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की और 28,816 मामलों में अंतर्ग्रस्त ₹ 21.19 करोड़ के कर शुल्क, अर्थदण्ड आदि का नहीं/कम उद्ग्रहण आरोपण आदि पाया जिसमें से विभाग ने 17,715 मामलों में अंतर्ग्रस्त ₹ 13.48 करोड़ के कर के नहीं/कम उद्ग्रहण/आरोपण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया।
हमारा निष्कर्ष	**विभाग को आंतरिक लेखापरीक्षा की व्यवस्था सहित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है ताकि प्रणाली की कमियाँ दूर हो सके और समान प्रकार की त्रुटियों से भविष्य में बचा जा सके।** **हमारे द्वारा इंगित कर के अनुदग्रहण, अल्पारोपण इत्यादि विशेषकर उन मामलों में जहाँ विभाग ने हमारे तथ्यों को स्वीकार कर लिया है, की वसूली हेतु शीघ्र कार्रवाई करने की आवश्यकता है।**

अध्याय – IV: वाहनों पर कर

4.1 कर प्रशासन

बिहार मोटर वाहन करारोपण (बि.मो.वा.क.) अधिनियम, 1994 तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों एवं बिहार मोटर वाहन (बि.मो.वा.) नियमावली, 1992 के द्वारा राज्य में मोटर वाहन कर एवं शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण संचालित होता है। 15 नवम्बर 2000 को झारखण्ड राज्य बनने पर, पूर्ववर्ती राज्य बिहार में विद्यमान अधिनियम, नियम एवं कार्यपालक अनुदेशों को झारखण्ड राज्य द्वारा अंगीकृत किया गया।

शीर्ष स्तर पर, परिवहन आयुक्त (प.आ.), झारखण्ड राज्य में अधिनियमों एवं नियमों के प्रशासन के लिये उत्तरदायी हैं। उनके सहयोग के लिये मुख्यालय में एक संयुक्त परिवहन आयुक्त रहते हैं। राज्य को चार क्षेत्रों[1] एवं 22 परिवहन जिलों[2] में बाँटा गया है जिसका नियंत्रण राज्य में राज्य परिवहन प्राधिकारी (रा.प.प्रा.), क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी (क्षे.प.प्रा.) और जिला परिवहन पदाधिकारी (जि.प.प.) द्वारा होता है। इनकी सहायता के लिये मोटर यान निरीक्षक, प्रवर्तन शाखा और नौ चेक पोस्ट[3] है।

4.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

बिहार वित्तीय नियमावली, खण्ड-I (झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत) के प्रावधानों के अनुसार राजस्व प्राप्तियों का बजट अनुमानों को तैयार करने का उत्तरदायित्व वित्त विभाग की है। यद्यपि बजट अनुमान के लिये आँकड़े संबंधित प्रशासनिक विभाग से प्राप्त किया जाता है जो आँकड़े की सत्यता के लिये जिम्मेवार हैं। राजस्व के उतार-चढ़ाव के मामले में बजट अनुमान विगत तीन वर्षों की प्राप्तियों की तुलना पर आधारित होना चाहिए।

वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान वाहनों पर कर का पुनरीक्षित बजट अनुमान के विरूद्ध वास्तविक प्राप्तियों के साथ उक्त अवधि में कुल कर प्राप्तियों को निम्न सारणी और ग्राफ में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संशोधित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	विचरण आधिक्य (+)/ ह्रास (-)	विचरण प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	राज्य के कुल कर प्राप्तियाँ के विरूद्ध वास्तविक प्राप्तियों का प्रतिशत
2007-08	184.78	135.67	(-) 49.11	(-) 27	3473.55	3.91
2008-09	400.60	201.57	(-) 199.03	(-) 50	3753.21	5.37
2009-10	500.00	234.21	(-) 265.79	(-) 53	4500.12	5.20
2010-11	440.00	312.37	(-) 127.63	(-) 29	5716.63	5.46
2011-12	356.00	391.92	(+)35.92	(+) 10.09	6953.89	5.64

स्रोतः झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे एवं वर्ष 2012-13 के राजस्व एवं प्राप्तियाँ के विवरणी के अनुसार पुनरीक्षित अनुमान।

---

1 दुमका, हजारीबाग, पलामू और राँची।

2 बोकारो, चाईबासा, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, जामताड़ा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, पाकुड़, राँची, साहेबगंज, सरायकेला-खरसावाँ और सिमडेगा।

3 बहरागोड़ा (पूर्वी सिंहभूम), बाँसजोर (सिमडेगा), चास मोड़ (बोकारो), चौपारण (हजारीबाग), चिरकुण्डा (धनबाद), धुलियान (पाकुड़), माँझाटोली (गुमला), मेघातरी (कोडरमा) और मुरीसेमार (गढ़वा)।

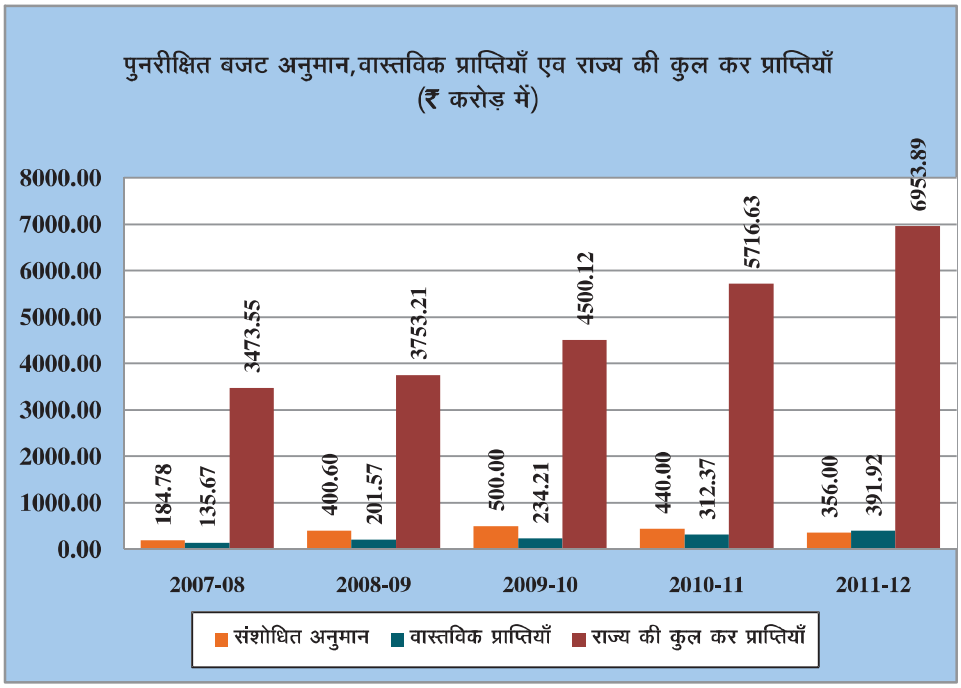

वर्ष 2011-12 को छोड़कर विभाग द्वारा पुनरीक्षित बजट अनुमान प्राप्त नहीं किया जा सका। 2007-08 से 2010-11 की अवधि में पुनरीक्षित बजट अनुमान की तुलना में ह्रास 53 और 27 प्रतिशत के बीच रहा।

हमने (अक्टूबर 2012) वित्त विभाग से वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान पुनरीक्षित अनुमान के घटते प्रवृति के कारण एवं बजट अनुमान के निर्धारण की प्रक्रिया के बारे में पूछा; उनके उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2013)।

4.3 संग्रहण की लागत

वाहनों पर कर से संबंधित सकल संग्रहण, इनके संग्रहण पर किये गये व्यय तथा वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान सकल संग्रहण पर ऐसे व्यय की प्रतिशतता नीचे की तालिका में दर्शाये गये है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	पूर्ववर्ती वर्षों में अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
2007-08	135.67	2.90	2.14	2.47
2008-09	201.57	4.03	2.00	2.58
2009-10	234.21	5.02	2.14	2.93
2010-11	312.37	4.83	1.55	3.07
2011-12	391.92	4.60	1.17	3.71

स्रोतः झारखण्ड सरकार का वित्त लेखे।

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि इन सभी वर्षों में संग्रहण की लागत का प्रतिशत अखिल भारतीय औसत से कम था। हम इस संबध में विभाग के कार्य की सराहना करते हैं।

4.4 आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा के कार्यकलाप

विभाग ने हमें बताया कि यद्यपि विभाग की अपनी कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा नहीं है, वित्त विभाग के अंकेक्षकों द्वारा वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 की आन्तरिक लेखापरीक्षा जून 2011 से की जा रही है। विगत वर्षों में किए गए लेखापरीक्षा के संबंध में सूचना प्रस्तुत नहीं की गई।

सरकार राजस्व के त्वरित एवं सटीक उद्ग्रहण हेतु अधिनियमों/नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये आन्तरिक अंकेक्षण शाखा स्थापित करने पर विचार कर सकती है।

4.5 लेखापरीक्षा का प्रभाव

राजस्व प्रभाव

2006-07 से 2010-11 के अवधि के दौरान हमने 1,20,884 मामलों में सन्निहित ₹ 371.86 करोड़ राजस्व प्रभाव के कर, शुल्क इत्यादि का नहीं/कम आरोपण, नहीं/कम उद्ग्रहण के मामले अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित किये। इनमें से विभाग/सरकार ने 1,14,631 मामलों में सन्निहित राशि ₹ 173.50 करोड़ के लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया और ₹ 7.81 करोड़ की वसूली की। तथापि, मामलों की संख्या जिसमें वसूली की गई, नहीं बताया गया। विवरणी नीचे सारणी में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अंकेक्षित इकाइयों की संख्या	आपत्ति की गई राशि		स्वीकृत राशि		कॉलम 6 में दर्शायी राशि में से वर्ष 2011-12 के दौरान वसूल की गई राशि
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	
1	2	3	4	5	6	7
2006-07	18	25,310	207.33	24,305	63.69	2.50
2007-08	15	58,554	36.97	58,554	36.97	2.03
2008-09	18	26,574	77.79	21,385	26.81	1.52
2009-10	13	3,560	20.74	3,557	17.08	0.70
2010-11	19	6,886	29.03	6,830	28.95	1.06
कुल	**83**	**1,20,884**	**371.86**	**1,14,631**	**173.50**	**7.81**

4.6 बकाये राजस्व का विश्लेषण

31 मार्च 2012 को राजस्व के बकाये की राशि ₹ 137.31 करोड़ था जिसमें ₹ 93.86 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से लम्बित थे। वर्ष 2007-08 से 2011-12 के अवधि के दौरान राजस्व के बकाये की वर्ष-वार स्थिति नीचे वर्णित है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया का आरम्भिक शेष	बकाया का अंत शेष
2007-08	128.65	174.30
2008-09	174.30	136.52[4]
2009-10	136.52	140.05
2010-11	140.05	117.87
2011-12	117.87	137.31

स्रोतः परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार।

[4] विभाग द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के आधार पर 31 मार्च 2009 को बकाये का अंत शेष का मिलान कर लिया गया है।

बकाये राजस्व 31 मार्च 2011 को ₹ 117.87 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2012 को ₹ 137.31 करोड़ हुआ। विभाग ने वर्ष के दौरान बकाये में वृद्धि और निष्पादन की सूचना नहीं दी।

विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार ₹ 104.44 करोड़[5] में से ₹ 94.80 करोड़ के माँग की वसूली के लिये बकाये भू-राजस्व की तरह नीलाम पत्रवाद दायर किये गये। ₹ 1.48 करोड़ की वसूली विलोपित होने के समान थी। शेष ₹ 8.16 करोड़ के बकाये के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना नहीं दी गयी है (फरवरी 2013)।

सरकार विभाग को निरंतर अनुश्रवण द्वारा बकाये के मामलों के त्वरित निष्पादन के लिये एवं बिहार एवं उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम,1914 के प्रावधानों के अनुसार बकाये की वसूली भू-राजस्व बकाये की तरह करने हेतु दिशा-निर्देश निर्गत करने पर विचार कर सकती है।

4.7 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2011-12 के दौरान वाहनों पर कर से सम्बन्धित 17 इकाइयों के अभिलेखों की हमारी नमूना जाँच से 28,816 मामलों में ₹ 21.19 करोड़ की राशि के करों के नहीं/कम संग्रहण/आरोपण एवं अन्य अनियमितताएँ का पता चला, जो निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1	करों का नहीं/कम लगाया जाना	17,714	13.07
2	बैठान क्षमता/निबंधित लदान क्षमता के गलत निर्धारण के चलते करों का कम आरोपण	24	0.11
3	अन्य मामले	11,078	8.01
कुल		**28,816**	**21.19**

हमारे द्वारा वर्ष 2011-12 के दौरान इंगित 17,715 मामलों में अंतर्ग्रस्त ₹ 13.48 करोड़ के वाहनों पर कर, शुल्क, अर्थदण्ड, जुर्माना आदि का नहीं/कम आरोपण विभाग ने स्वीकारा जिसे इस अध्याय में प्रस्तुत किया गया है। स्वीकृत मामलों में से विभाग ने 139 मामलों में ₹ 59.01 लाख की वसूली की गयी।

[5] 31 मार्च 2012 को बकाये राजस्व ₹ 137.31 करोड़ के विरूद्ध, विभाग ने सिर्फ ₹ 104.44 करोड़ पर की गई कार्रवाई उपलब्ध कराई।

लेखापरीक्षा अवलोकन

4.8 अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों का पालन/अनुपालन नहीं होना

बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम (बि.मो.वा.क.), 1994 (यथा झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत), मोटर वाहन अधिनियम, 1988, बिहार वित्तीय नियमावली, (यथा झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत), और उसके अधीन बनाये गये नियमों में प्रावधान है:

i) वाहन स्वामियों द्वारा विनिर्दिष्ट दर से मोटर वाहन कर का भुगतान;

ii) संग्रहित राजस्व को सरकारी खातों में ससमय जमा करना; और

iii) विनिर्दिष्ट दर से पंजीयन शुल्क का भुगतान।

हमने देखा की परिवहन विभाग ने अधिनियम/नियमावली के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं किया, जो अनुवर्ती कंडिकाओं में दिये गये है।

4.9 वाहन करों का उद्ग्रहण नहीं होना

बि.मो.वा.क. अधिनियम एवं उसके अधीन निर्मित नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत, यथा झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत, पंजीकृत वाहन स्वामियों को (व्यक्तिगत वाहन से भिन्न) जिस करारोपण पदाधिकारी के क्षेत्राधिकार में वाहन पंजीकृत है, भुगतित अवधि के उपरान्त करों का भुगतान करना है। तदन्तर, नियत समय में कर का भुगतान नहीं करने के मामलों में, करारोपण पदाधिकारी निर्धारित दर से अर्थदण्ड लगा सकते हैं। यदि विलंब 90 दिनों से अधिक है, तो बकाये कर का दुगुना का अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता है। अग्रेतर, बि.मो.वा.क. नियमावली के अंतर्गत प्रत्येक करारोपण पदाधिकारी को माँग,वसूली और बकाया (माँ.व.ब.) पंजी संधारित करना है जिसे प्रत्येक वर्ष अक्टूबर और मार्च में अद्यतन करना है ताकि नियमित और ससमय करों के उद्ग्रहण पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। प्रमादियों के विरूद्ध जिला परिवहन पदाधिकारियों को माँग पत्र निर्गत करना है। अधिनियम पुनः विहित करता है कि ट्रेलर एक परिवहन वाहन है, और कर के भुगतान से छूट अनुमान्य नहीं होगी, चाहे इसके उपयोग की प्रकृति कोई भी हो।

4.9.1 16 जिला परिवहन कार्यालयों[6] में अप्रील 2011 और मार्च 2012 के बीच करारोपण पंजी, माँ.व.ब. पंजी, अभ्यर्पण पंजी एवं कम्प्यूटरीकृत आँकड़ों की नमूना जाँच में हमने देखा कि अप्रील 2011 एवं मार्च 2012 के दौरान 28,096 वाहन स्वामियों में से 1,379 वाहन स्वामियों ने कर का भुगतान नहीं किया। अग्रेतर, वाहन स्वामियों ने न तो वाहनों के अभ्यर्पण का आवेदन दिया था और न ही उनका निबंधन प्रमाण-पत्र रद्द किया गया था। इसलिये उनके द्वारा कर भुगतेय था। अतः जि.प.प. द्वारा माँ.व.ब. पंजी को समय-समय पर

[6] बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, गढ़वा गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर,कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, राँची, साहेबगंज और सिमडेगा।

अद्यतन करने में असफल होने के कारण उनके पास प्रमादी वाहन स्वामियों की संख्या एवं वसूलनीय कर की राशि का विस्तृत ब्यौरा नहीं था। जिला परिवहन पदाधिकारियों प्रमादी वाहन स्वामियों के विरूद्ध कर एवं अर्थदण्ड के लिए माँग सृजित नहीं की। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.09 करोड़ के अधिकतम अर्थदण्ड सहित ₹ 10.63 करोड़[7] मोटर वाहन कर का आरोपण नहीं हुआ।

हमारे द्वारा (अप्रील 2011 एवं मार्च 2012 के मध्य) मामले को बताये जाने पर, सरकार ने सितम्बर 2012 में कहा कि 13 जि.प.प.[8] के मामले में 1,076 मामलों में सन्निहित ₹ 8.48 करोड़ के लिए माँग पत्र निर्गत किया गया हैं, जिसमें से जिला परिवहन कार्यालय, राँची सं संबंधित 116 मामलों में सन्निहित ₹ 88 लाख का नीलाम पत्रवाद दायर किया गया है और 10 जि.प.प.[9] द्वारा 51 मामलों में सन्निहित ₹ 29.04 लाख की वसूली की गई है। यद्यपि, शेष तीन जि.प.पदा.[10] ने (मई 2011 एवं मार्च 2012 के मध्य) कहा कि प्रमादियों के विरूद्ध माँग पत्र निर्गत किये जायेंगे। अग्रेतर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (फरवरी 2013)।

4.9.2 15 जिला परिवहन कार्यालयों[11] में करारोपण पंजी की जाँच में हमने देखा (मई 2011 से मार्च 2012) कि दिसम्बर 2007 एवं मार्च 2012 के बीच 1,596 ट्रेलर स्वामियों ने पथ कर एवं अतिरिक्त मोटर वाहन कर का भुगतान नहीं किया। विभाग भी प्रमादियों के विरूद्ध माँग सृजित नहीं किया। अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों को लागू करने में विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.31 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 1.97 करोड़[12] के कर का आरोपण नहीं हुआ।

हमारे द्वारा (मई 2011 से मार्च 2012 में) मामला बताये जाने पर, सरकार ने सितम्बर 2012 में कहा कि 12 जि.प.पदा.[13] के मामले में 1,346 मामलों में सन्निहित ₹ 1.64 करोड़ के लिए पर माँग पत्र निर्गत किया गया हैं, जिसमें से जिला परिवहन कार्यालय, राँची से संबंधित 152 मामलों में सन्निहित ₹ 23.47 लाख का नीलाम पत्रवाद दायर

---

7 **मालवाहक वाहनः** पथ कर (प.क.) ₹1,662.50 प्रति वर्ष आरोप्य और 8000 कि.ग्रा. पंजीकृत लदान क्षमता से अधिक प्रत्येक 250 कि.ग्रा. और उसके भाग पर ₹ 136.50 आरोप्य। अतिरिक्त पथ कर ₹ 310 प्रति वर्ष 500 कि.ग्रा. तक और 500 कि.ग्रा. पंजीकृत लदान क्षमता और उसके भाग पर ₹ 232.50 आरोप्य।

पैसेंजर वाहनः पथ कर 33 पैसेंजर के लिये ₹ 3,485 और उससे अधिक सीटों पर ₹ 53 प्रत्येक अतिरिक्त सीट। अतिरिक्त पथ कर ₹ 416 प्रत्येक सीट प्रति वर्ष जिसमें बैठान क्षमता 32 सीटों से अधिक है।

8 बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह गुमला, जमशेदपुर, लातेहार, लोहरदगा, राँची, साहेबगंज और सिमडेगा।

9 बोकारो, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गुमला, जमशेदपुर, लातेहार, लोहरदगा, राँची और साहेबगंज।

10 गढ़वा, हजारीबाग और कोडरमा।

11 बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, कोडरमा,लातेहार लोहरदगा, राँची और साहेबगंज।

12 ट्रेलर- 4000 कि.ग्रा. से अधिक 8000 कि.ग्रा. तक पथ कर ₹ 760 प्रति वर्ष और 4000 कि.ग्रा. से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त 250 कि.ग्रा. के लिये ₹ 49.50 प्रति वर्ष। अतिरिक्त पथ कर 5000 कि.ग्रा. लदान क्षमता तक ₹ 1440 प्रति वर्ष।

13 बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गुमला, जमशेदपुर, लातेहार, लोहरदगा, राँची और साहेबगंज।

किया गया है और 10 जि.प.प.[14] द्वारा 82 मामलों में सन्निहित ₹ 7.20 लाख की वसूली की गई है। यद्यपि शेष तीन जि.प.प.[15] ने कहा (मई 2011 और मार्च 2012 के मध्य) कि प्रमादियों के विरूद्ध माँग पत्र निर्गत किये जायेंगे। अग्रेतर, उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (फरवरी 2013)।

4.10 व्यापार कर का नहीं/कम उद्ग्रहण होना

वि.मो.वा.क. अधिनियम के अन्तर्गत, विनिर्माता/ व्यवसायी को उसके व्यवसाय के क्रम में अधिकार में रहे मोटर वाहनों पर अनुसूची-III में विनिर्दिष्ट वार्षिक दर से व्यापार कर को भुगतान किया जायेगा। व्यापार कर (वाहन के प्रकार) प्रति सात वाहनों के ब्लॉक पर भुगतेय है जिसके लिए फॉर्म-बी2 में विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है। करारोपण पदाधिकारी व्यापार कर की राशि सत्यापित करने के उपरान्त व्यापार प्रमाण-पत्र का नवीकरण करते हैं। नियत समय में कर का भुगतान नहीं करने पर करारोपण पदाधिकारी निर्धारित दर से अर्थदण्ड आरोपित कर सकता है। यदि विलंब 90 दिनों से अधिक है, तो बकाये कर का दुगुना का अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता है।

4.10.1 हमने चार जिला परिवहन कार्यालयों[16] का जुलाई 2011 और मार्च 2012 के मध्य व्यापार कर पंजी तथा संचिका की नमूना जाँच के क्रम में पाया कि 23 वाहन व्यवसायियों द्वारा वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के मध्य की अवधि के लिए अर्थदण्ड सहित ₹ 10.48 लाख का व्यापार कर भुगतेय था। यद्यपि, व्यवसायियों ने न तो कोई विवरणी प्रस्तुत किया और न ही इस अवधि के दौरान कोई भुगतान हीं किया। जि.प.प. ने भी विवरणियों को प्राप्त करने और व्यवसायियों से बकाया राशि की वसूली हेतु कोई कार्रवाई नहीं की। इसके फलस्वरूप अधिकतम अर्थदण्ड ₹ 6.99 लाख सहित ₹ 10.48 लाख[17] के व्यापार कर एवं अर्थदण्ड का भुगतान नहीं हुआ।

4.10.2 हमने जिला परिवहन कार्यालय, बोकारो एवं राँची का जुलाई 2011 और जनवरी 2012 के मध्य व्यापार कर पंजी तथा संचिका के नमूना जाँच के क्रम में पाया कि छः मोटर वाहन व्यवसायियों द्वारा 2006-07 और 2010-11 के मध्य की अवधि के लिए अर्थदण्ड सहित ₹ 9.10 लाख का व्यापार कर भुगतेय था। यद्यपि व्यवसायियों ने

[14] बोकारो, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गुमला, जमशेदपुर, लोहरदगा, राँची और साहेबगंज।
[15] गढ़वा, हजारीबाग और कोडरमा।
[16] देवघर, हजारीबाग, लोहरदगा और राँची।
[17]

(₹ में)

वाहन का प्रकार	वाहनों की संख्या	सात वाहनों का ब्लॉक	दर प्रति सात वाहन	व्यापार कर की राशि	अर्थदण्ड	कुल	भुगतित राशि	कर एवं अर्थदण्ड का उद्ग्रहण नहीं होना
दो पहिया	3,231	462	400	1,84,800	3,69,600	5,54,400	0	5,54,400
एल.एम.भी.	2,298	329	500	1,64,500	3,29,000	4,93,500	0	4,93,500
कुल	**5,529**			**3,49,300**	**6,98,600**	**10,47,900**	**0**	**10,47,900**

सिर्फ ₹ 4.85 लाख का भुगतान किया। विवरणी की जाँच किये बिना व्यापार कर की राशि स्वीकार करना जि.प.प. का संहिता के प्रावधानों को पालन करने में विफलता के फलस्वरूप ₹ 4.25 लाख[18] व्यापार कर और अर्थदण्ड का कम भुगतान हुआ जिसमें ₹ 3.50 लाख अर्थदण्ड शामिल है।

हमारे द्वारा मामला बताये जाने पर (जुलाई 2011 एवं मार्च 2012 के मध्य) सरकार ने सितम्बर 2012 में कहा कि चार जि.प.प.[19] के मामले में 25 व्यवसायियों को माँग पत्र निर्गत कर दिया गया है, जिसमें से जिला परिवहन कार्यालय, राँची से संबंधित चार व्यवसायियों के मामले में नीलाम पत्रवाद दायर किया गया है और जि.प.प., बोकारो और देवघर द्वारा चार व्यवसायियों के मामले में ₹ 1.14 लाख की वसूली की गई है। अग्रेतर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (फरवरी 2013)।

4.11 अस्थायी निबंधन के निर्गमन पर कर का कम आरोपण

बि.मो.वा.क अधिनियम के अन्तर्गत यथा झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत, परिवहन वाहनों के अस्थायी निबंधन के समय भूगतेय वार्षिक कर का 1/12 की दर से आरोप्य होगा। अस्थायी निबंधन के विस्तार की अवधि के मामले में, प्रत्येक विस्तार पर 30 दिनों या उसके भाग के लिए भूगतेय वार्षिक कर के 1/12 की दर से कर भुगतेय होगा। विलम्ब से कर का भुगतान करने पर निर्धारित दर से अर्थदण्ड भी आरोप्य होगा।

जिला परिवहन कार्यालय, बोकारो एवं जमशेदपुर के अस्थायी निबंधन पंजी की नमूना जाँच के कम में नवम्बर एवं दिसम्बर 2011 के बीच हमने देखा कि 2010-11 के दौरान 1,895 पूर्ण निर्मित ट्रकों के अस्थायी निबंधन निर्गमन के समय कर का कम आरोपण हुआ। हमने आरोप्य कर की गणना ₹ 34 लाख की। यद्यपि करारोपण पदाधिकारी ने सिर्फ ₹ 16.52 लाख की वसूली की जिसके फलस्वरूप ₹ 17.48 लाख[20] का कम उद्ग्रहण हुआ।

हमारे द्वारा (नवम्बर एवं दिसम्बर 2011 के मध्य) मामला बताये जाने पर, सरकार ने सितम्बर 2012 में कहा कि जि.प.प., जमशेदपुर, के मामला में मेसर्स टाटा मोटर्स से

18

(₹ में)

वाहन का प्रकार	वाहनों की संख्या	सात वाहनों का ब्लॉक	दर प्रति सात वाहन	व्यापार कर की राशि	अर्थदण्ड	कुल	भुगतित राशि	कर एवं अर्थदण्ड का उद्ग्रहण नहीं होना
दो पहिया	4,157	594	400	2,37,600	29,856	2,67,456	2,42,356	25,100
एल.एम.भी.	1,504	215	500	1,07,500	1,92,265	2,99,765	46,222	2,53,543
एच.एम.भी.	1,645	235	600	1,41,000	2,01,800	3,42,800	1,96,200	1,46,600
कुल	**7,306**			**4,86,100**	**4,23,921**	**9,10,021**	**4,84,778**	**4,25,243**

19 बोकारो, देवघर, लोहरदगा और राँची।

20 मालवाहक वाहनों के लिये वार्षिक मार्ग कर-8000 कि.ग्रा. निबंधन लदान क्षमता (नि.ल.क्ष.) से अधिक ₹ 1662.50 और प्रत्येक अतिरिक्त 250 कि.ग्रा. या उसके भाग के लिये ₹ 136.50। अतिरिक्त कर (वार्षिक) -500 कि.ग्रा. लदान क्षमता से अधिक ₹ 310 और प्रत्येक अतिरिक्त 500 कि.ग्रा. या उसके भाग के लिये ₹ 232.50।

₹ 16.01 लाख की वसूली की गयी जबकि जि.प.प., बोकारो द्वारा माँग पत्र निर्गत किया गया है। अग्रेतर उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (फरवरी 2013)।

4.12 बैंक द्वारा संग्रहित राजस्व को विलम्ब से जमा करने के कारण ब्याज की हानि

बिहार वित्तीय नियमावली (झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत) के प्रावधानों के अतंर्गत सरकारी बकाये के रूप में प्राप्त सभी राशियों को सरकारी लेखे में जमा करना चाहिए। राज्य परिवहन आयुक्त, झारखण्ड (जनवरी 2001) के अनुदेशों के अनुसार अप्रैल से फरवरी के दौरान बैंक द्वारा संग्रहित राशि को भारतीय स्टेट बैंक,(एस.बी.आई.), डोरण्डा शाखा, राँची में इस प्रकार अंतरित करना चाहिए कि एक निश्चित माह की सभी प्राप्तियाँ अनुवर्ती माह के प्रथम सप्ताह में अंतरित हो जाय। मार्च महीने में जमा किए गए राशि 31 मार्च तक निश्चित रूप से अंतरित करना है ताकि एक वित्तीय वर्ष में जमा सभी राशियाँ को उसी वित्तीय वर्ष के सरकारी लेखे में अंतरित हो जाय। जनवरी 2007 में निर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार एक लाख से अधिक शेष पर बैंकों द्वारा विलंब से सरकारी लेखा में प्रेषण करने पर आठ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय है।

जिला परिवहन कार्यालय बोकारो एवं धनबाद में संग्रहित राजस्व अंतरण की बैंक विवरणी की नमूना जाँच में हमने दिसम्बर 2011 और जनवरी 2012 के बीच देखा कि संग्राहक बैंक जैसे पंजाब नेशनल बैंक ने 2010-11 में ₹ 61.29 करोड़ संग्रहित राजस्व को सरकारी खाते में जमा करने के लिये भारतीय स्टेट बैंक, डोरण्डा, शाखा, राँची में निर्धारित समय से अंतरित नहीं किया। विलम्ब की अवधि का विचरण एक माह से 11 माह थी। संग्राहक बैंक ने सरकारी राजस्व को विलम्ब से एस.बी.आई., डोरण्डा, राँची में अंतरित करने के लिए ब्याज के रूप में ₹ 41.52 लाख जमा नहीं किया। विभाग ने भी ब्याज के भुगतान का मामला संग्राहक बैंक के सामने नहीं उठाया।

हमारे द्वारा (दिसम्बर 2011 एवं जनवरी 2012 के मध्य) मामला बताये जाने पर, सरकार ने सितम्बर 2012 में कहा कि जि.प.प., बोकारो और धनबाद ने बैंक प्रबंधन से संग्रहित राशि को ससमय अंतरण एवं दंडात्मक ब्याज की राशि को जमा करने का आग्रह किया है। अग्रेतर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (फरवरी 2013)।

4.13 अभ्यर्पण में अंतर्ग्रस्त वाहनों पर कर का आरोपण नहीं होना

वि.मो.वा.क. अधिनियम, 1994 झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत और उसके अधीन निर्मित नियमावली के अंतर्गत, जब मोटर वाहन स्वामी अपने वाहन का उपयोग किसी निश्चित अवधि के लिये, जो एक समय में छः महीने से अधिक नहीं होगी, नहीं करना चाहता है तो उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर भुगतान से छूट दी जा सकती है बशर्ते छूट का उसका दावा वांछित साक्ष्यों से समर्थित हो। जिस अवधि के लिये वाहन का उपयोग नहीं किया गया उसे कर भुगतान से छूट मिल सकती है बशर्ते निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया हो। किसी विस्तार के अभाव में यह माना जायेगा कि वाहन का उपयोग किया गया है और कर भुगतेय है। अग्रेतर, अधिनियम करारोपण पदाधिकारी को ऐसी जगह जहाँ पर वाहन रखा गया है, के प्रवेश को प्राधिकृत करता है। यदि कर भुगतान करने में 90 दिनों से अधिक का विलम्ब होता है तो अर्थदण्ड देय कर का दुगुना, आरोपित किया जा सकता है।

जिला परिवहन कार्यालय, गिरिडीह के अभ्यर्पण पंजी की नमूना जाँच में हमने मई 2011 में देखा कि जुलाई 2007 और सितम्बर 2008 के दौरान नौ वाहन अभ्यर्पित हुए। तथापि, निर्धारित अवधि की समाप्ति के उपरान्त भी स्वामियों के इच्छा के बिना वाहन को अभ्यर्पण के अन्तर्गत रखा गया और उस अवधि के लिये वाहन स्वामी ने अग्रेतर विस्तार एवं नया शपथ पत्र दायर नहीं किया जो अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन था। अतः वाहन स्वामियों को जनवरी 2008 से जुलाई 2011 की अवधि के लिये कर एवं अर्थदण्ड का भुगतान करना था। तथापि, जहाँ वाहन रखे गये थे, उसका निरीक्षण करने में जि.प.प. अपनी शक्तियों का उपयोग करने में असफल रहे। इसके फलस्वरूप, अभ्यर्पण की निर्धारित अवधि के समाप्ति के उपरान्त वाहन मालिकों पर माँग पत्र निर्गत नहीं हुआ और फलतः ₹ 9.66 लाख के अर्थदण्ड सहित ₹ 14.49 लाख[21] के कर का आरोपण नहीं हुआ।

हमारे द्वारा मामला बताये जाने पर (मई 2012) सरकार ने सितम्बर 2012 में कहा कि जि.प.प., गिरिडीह द्वारा माँग पत्र निर्गत कर दिया गया है। अग्रेतर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (फरवरी 2013)।

21

(₹ में)

वाहनों की संख्या	प्रकार/मॉडेल	सीट/ पंजीकृत लदान क्षमता	कर की दर (आर.टी. +.ए.टी.)	अर्थदण्ड	कुल	तिमाही की संख्या	कर एवं अर्थदण्ड की राशि
3	बस/ 2003 & 2004	53 आई/डी	1,110+4,774=5,884*3=17,652	35,304	52,956	9 (3.3.09 से 2.6.11)	4,76,604
2	बस/ 1990 & 1991	53 आई/डी	1110+4,508=5,618*2 =11,236	22,472	33,708	10 (30.11.08 से 29.5.11)	3,37,080
1	बस / 1994	53 आइ/डी	1,110+4,508=5,618	11,236	16,854	14 (24.1.08 से 23.7.11)	2,35,956
1	बस / 2001	53 आई/डी	1,110+4,774=5,884	11,768	17,652	12 (10.7.08 से 9.7.11)	2,11,824
1	ट्रक /1985	15660	1,474+1,316=2,790	5,580	8,370	14 (2.1.08 से 1.7.11)	1,17,180
1	मिनीट्रक/1996	12000	962+990=1,952	3,904	5,856	12 (15.7.08 से 17.7.11)	70,272
कुल							14,48,916